(12)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2006/भाद्र 6, 1928
No. 123] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2006/BHADRA 6, 1928

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2006

सं. एल/68(84)/2006-सीईआरसी.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

(क) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के खंड 6.4.15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"6.4.15 आरएलडीसी उपरोक्त मीटर रीडिंग के आधार पर 15 मिनटवार प्रत्येक आईएसजीसी के वास्तविक कुल एम डब्ल्यू एच इंजक्सन और प्रत्येक फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकासी की संगणना करने के लिए जिम्मेदार होगा। मीटरों के परिशोधित आंकड़ों के साथ उपरोक्त आंकड़ों को आरएलडीसी द्वारा पत्र तैयार करने में तथा अननुसूचित अंतर-विनिमय लेखा जारी करने में समर्थ बनाने के लिए पूर्व रविवार की अर्धरात्रि को समाप्त होने वाले सात दिन की अवधि के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार तक साप्ताहिक आधार पर आरपीसी सचिवालय को भेजा जाएगा। आरएलडीसी द्वारा की गई सभी संगणनाओं की जांच/सत्यापन सभी संघटक 15 दिन की अवधि के लिए कर सकेंगे। यदि किसी गलती/लोप का पता लगता है तो आरएलडीसी तुरंत पूरी जांच करेगा तथा उसको दूर करेगा।"

(ख) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के उपाबंध 1 के पैरा 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"5. मासिक आधार पर क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा तथा साप्ताहिक आधार पर यू आई प्रभारों का विवरण तैयार किया जाएगा तथा उसे विभिन्न प्रभारों की बिलिंग करने तथा उनका संदाय करने के प्रयोजन के लिए आर पी सी सचिवालयों को जारी किया जाएगा। मास के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा आगामी मास में जारी किया जाएगा। खंड 6.4.15 तथा 6.5.18 के उपबंधों के अनुसार आरएलडीसी द्वारा प्रदान किए गए आकड़ों के आधार पर साप्ताहिक यू आई लेखा जारी किया जाएगा तथा इन्हें उपांतिम रविवार की अर्धरात्रि को समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि के लिए मंगलवार तक सभी संघटकों को जारी किया जाएगा। यू आई प्रभारों का संदाय एक उच्च पूर्विकता होगी तथा संबंधित संघटक आरएलडीसी द्वारा प्रचालित क्षेत्रीय यू आई पूल लेखा में जारी विवरण के दस दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे। वे अभिकरण, जो यू आई प्रभारों के लेखा पर धन प्राप्त करते हैं, तब तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय यू आई पूल खाते में से संदाय करेंगे।

6. आरपीसी सचिवालय ऐसे सभी संघटकों को वीएआर प्रभारों के लिए साप्ताहिक विवरण जारी करेंगे जिनके पास निम्न/उच्च वोल्टता की स्थिति में रिएक्टिव ऊर्जा की कुल निकासी/इंजक्सन है । इन संदायों को उच्च पूर्विकता दी जाएगी तथा संबंधित संघटक विवरण जारी होने के दस दिन के भीतर आरएलडीसी द्वारा प्रचालित क्षेत्रीय रिएक्टिव पूल खाते में उपदर्शित रकम का संदाय करेगा । वे अभिकरण, जो वीएआर प्रभारों के खाते पर धन प्राप्त करते हैं, तब तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय रिएक्टिव पूल खाते में से संदाय करेंगे ।"

(ग) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के उपाबंध I के पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"12. आरपीसी सचिवालयों द्वारा किए गए सभी क्षेत्रीय ऊर्जा लेखांकन परिकलन सभी संघटकों के लिए जांच करने/सत्यापन करने के लिए 15 दिन की अवधि के लिए खुले रहेंगे । यदि किसी त्रुटि का पता लगता है तो आरपीसी सचिवालय तत्काल पूरी जांच करेगा तथा त्रुटि को दूर करेगा ।"

(घ) क्षेत्रीय ऊर्जा खातों से संबंधित उपबंध 1-9-2006 से प्रवृत्त होंगे तथा अननुसूचित अंतर विनियम प्रभारों तथा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों से संबंधित उपबंध 3-9-2006 से प्रवृत्त होंगे ।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा./150/06]

टिप्पण :– भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तारीख 17-3-2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचित की गई थी ।